रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1499] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2014/आषाढ़ 27, 1936
No. 1499] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2014/ASHADHA 27, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2014

का. आ. 1862(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में दहेज – उरान पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाईन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकर का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	गांव.	सर्वे नं.	उ. का. अ. के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेकटर में)
1	2	3	4	5
भरूच	अंकलेश्वर	धंतुरिया	351	00-74-81
			379	00-33-30
			377	00-02-04
			376	00-10-73
			374	00-14-70
			375	00-14-04
			380	00-19-55
			371	00-18-00
			338	00-07-80
			29/2	00-12-60

[फा. सं. एल–14014/27/14–जीपी–II]

एस. पी. अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2014

S. O. 1862(E).— Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas from Dahej – Uran Pipeline in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited.

SCHEDULE

District	Tahsil	Village	Survey No.	Land to be acquired for R.O.U. in Hectares
1	2	3	4	5
Bharuch	Ankleshwar	Dhanturiya	351	00-74-81
			379	00-33-30
			377	00-02-04
			376	00-10-73

			374	00-14-70
			375	00-14-04
			380	00-19-55
			371	00-18-00
			338	00-07-80
			29/2	00-12-60

[F. No. L-14014/27/14-GP-II]
S. P. AGARWAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.